रजिस्ट्री सं. डी. (डी.'एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1985/चैत्र 5, 1907
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1985/CHAITRA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

सा. का. नि. 306(अ):— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:—

1. (1) यह आदेश मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य का निर्धारण) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1985 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत होगा।

2. मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1970 में दी गई अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची पढ़ी जायेगी, अर्थात:—

अनुसूची

[खण्ड 2(घ)और 3 देखें]

I. मुख्य बन्दरगाह/शोधनशाला पर थोक में मिट्टी के तेल का प्रति कि. लि० मूल अधिकतम विक्रय मूल्य

क्रम सं.	मुख्य बन्दरगाह /रिफाइनरी	मिट्टी का तेल रुपये	विमानन टर्बाइन ईंधन रुपये
1.	बम्बई / कोयाली / मथुरा / कोचीन/मद्रास / विशाखापतनम / हल्दिया / दिग्बोई/ गोहाटी / बरौनी/बोगाईगांव	1821.93	4739..85
2.	कलकता	1842.74	4760.24
3.	काण्डला	1856.31	4774.15
4.	ओखा	1868.73	4786.56
5.	गोवा	1852.49	4770.34
II.	समान दर परिवहन भाड़ा उत्तम कोटि का मिट्टी का तेल	50 रुपये प्रति किलो लिटर	
III.	18.5 लिटर के टिन का मूल्य	4.75 रुपये प्रति टिन"	

[फाइल. सं. पी-20014/ 1/84 पी० पी.

टी. एन. आर. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1985

G.S.R. 306(E):—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely:—

1. (1) This order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) (Second Amendment) Order, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule appended to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

[See Clauses 2(d) and 3]

1. Basic ceiling selling prices of kerosene in bulk per kilolitre ex-Main Port/ Refinery.

S. No.	Main Port/Refinery	Kerosene	Aviation Turbine Fuel Rs.
1.	Bombay/Koyali/Mathura/Cochin/Madras/ Visakhapatnam/Haldia/Digboi/Gauhati/Barauni/ Bongaigaon.	1821.93	4739.85
2.	Calcutta	1842.74	4760.24
3.	Kandla	1856.31	4774.15
4.	Okha	1868.73	4786.56
5.	Goa	1852.49	4770.34
II.	Flat transportation charges Kerosene superior	Rs. 50 per kilolitre	
III.	Price of 18.5 litre tin	Rs. 4.75 per tin"	

[File No. P-20014/1/84-PP]
T.N.R. RAO, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985